भारत के असाधारण राजपत्र, भाग III प्रकाशन के लिए

भाग 4

राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2012

राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान शैक्षणिक कार्यक्र अध्यादेश 2012

फा. सं. निफ्ट/डीसी/06-07/डिग्री/ 42 – राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान अधिनियम, 2006 (2006 का 28) की धारा 27 की उप-धारा (1) के अनुसरण में, सिनेट ने 13 अप्रैल, 2012 को हुई अपनी 16वीं बैठक में निफ्ट के शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए अध्यादेश बनाए जिन्हें उक्त धारा की उप-धारा (2) और (3) के निबंधनों के अनुरूप बोर्ड द्वारा 24 फरवरी, 2012 को हुई उसकी 16वीं बैठक में अनुसमर्थित किया गया।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	1	(1)	इन अध्यादेशों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान शैक्षणिक कार्यक्रमम अध्यादेश 2012 है:
		(2)	ये 13 फरवरी, 2012 को प्रवृत होंगे।
परिभाषांए- इस अध्यादेश , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-	2	(1)	**शैक्षणिक** से इसके विभिन्न प्रस्तुतीकरण तरीकों तथा शैक्षणिक प्रशासन के साथ-साथ शिक्षण, अधिगम, प्रशिक्षण, मूल्यांकन/परीक्षा, शोध से संबंधित शिक्षण और शोध से संबंधित क्रियाकलाप अभिप्रेत है:
		(2)	**शैक्षणिक नियमावली** से अभिप्रेत हे शैक्षिणक मामलों में नियमों और विनियमों का संकलन:
		(3)	**शैक्षणिक योजना** से अभिप्रेत है सभी शैक्षणिक विभागों का कार्यक्रम जिसमें प्रत्येक विशिष्ट सेमेस्टर में प्रदान किए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों का शैक्षणिक कार्यभार और श्रेयांक दर्शाए गए है:
		(4)	**शैक्षणिक कार्यक्रम** से अभिप्रेत है शक्षणिक क्रियाकलापों की श्रृंखला जिसके फालस्वरूप कोई डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्राप्त होता है:
		(5)	**शैक्षणिक सत्र** से अभिप्रेत है 16 शैक्षणिक सप्ताहों के समकक्ष एक टर्म/सेमेस्टर की अवधि (जुलाई-दिसम्बर/जनवरी-जून)
		(6)	**शैक्षणिक वर्ष** से अभिप्रेत है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश के साथ दो शैक्षणिक सत्रों की अवधि (शरत और वसंत)
		(7)	**आवेदक** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति-विशेष जो संस्थान के किसी शैक्षणिक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करता है:
		(8)	**केंद्र** से अभिप्रेत है नई दिल्ली, बेंगलूरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नाई, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर, कांगडा, कन्नूर, कोलकाता, मुबंई, पटना, रायबरेली, शिलांग अथवा भारत या विदेश में किसी अन्य स्थान पर स्थित कोई केंद्र जैसाकि बोर्ड के निर्णय के अधीन स्थापित किया जाए
		(9)	**सर्टिफिकेटकार्यक्रम** से अभिप्रेत है संस्थान द्वारा एक वर्ष तक की अवधि के लिए प्रदान किया गया कोई कार्यक्रम जैसाकि जैसाकि बोर्ड द्वारा अनुोदित किया जाए:
		(10)	**दीक्षांत-समारोह** से अभिप्रेत है डॉक्टोरल, स्नातकोत्तर या स्नातकपूर्व कार्यक्रमों की समाप्ति पर डिग्रियां प्रदान करने के लिए संस्थान का दीक्षांत-समारोह
		(11)	**पाठ्यक्रम** से अभिप्रेत है पूर्णकालिक या अंशकलिक शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या तैयार करने वाला विनिर्दिष्ट अध्ययन का एक पूर्ण निकाय जिनके परिणामस्वरूप कोई डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्राप्त होता है:
		(12)	**किसी कार्यक्रम की पाठ्यचर्या** से अभिप्रेत है प्रत्येक विषय में कवर किए जाने वाले शीर्षकों, मूल्यांकन मानदण्डों, श्रेयांकों, घंटों तथा कार्यक्रम

			विशेष के लिए अन्य शैक्षणिक क्रियाकलापों के विवरणों के साथ विषयों का एक विनिर्दिष्ट सेट:
		(13)	**डिग्री** से अभिप्रेत है स्नातक डिग्री, निष्णात डिग्री, डॉक्टोरल डिग्री तथा संस्थान की ऐसी अन्य डिग्री जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाए,
		(14)	**डिप्लोमा** से अभिप्रेत है संस्थान द्वारा प्रदान किया गया एक वर्ष अधिक परंतु दो वर्ष तक की अवधि का कार्यक्रम जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाए:
		(15)	**वैकल्पिक** से अभिप्रेत है प्रत्येक कार्यक्रम में विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में छात्रों को प्रदान किए गए विषय:
		(16)	**एंड-टर्म** परीक्षा से अभिप्रेत है किसी टर्म/सेमेस्टर की समाप्ति पर विनिर्दिष्ट तारीखों के दौरान आयोजित परीक्षा,
		(17)	**परीक्षा** से अभिप्रेत है किसी विद्यार्थी के शैक्षणिक प्रदर्शन को मूल्यांकित कने के लिए प्रयुक्त पद्धति जो सिनेट द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए:
		(18)	**ग्रेड** अभिप्रेत है अंकीय ग्रेड जिसमें किसी पाठ्क्रम में किसी छात्र के सापेक्षी शैक्षणिक प्रदर्शन को दर्शाया गया हो:
		(19)	**जूरी** से अभिप्रेत है किसी छात्र के अधिग के मूल्यांकन के लिए संकाय और/अथवा विशेषज्ञों का पैनल:
		(20)	**परामर्शक** से अभिप्रेत है शैक्षणिक तथा संस्थान से संबंधित अन्य विषयों पर किसी छात्र को परामर्श देने के लिए विभाग अथवा केंद्र द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई संकाय:
		(21)	**मध्यावधि** परीक्षा से अभिप्रेत है विनिर्दिष्ट तारीखों के दौरान टर्म/सेमेस्टर के मध्य के दौरान आयोजित परीक्षा:
		(22)	**संयमन नीति** से अभिप्रेत है किसी सेमेस्टर में विभिन्न पाठ्क्रमों मं प्रदान किए गए ग्रेडों को संयत करने के लिए संस्थान की नीति जो सिनेट द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए:
		(23)	**पुन:परीक्षा** से अभिप्रेत है किसी टर्म/सेमेस्टर के परिणामों की घोषणा के पश्चात ऐसे छात्रों के लिए आयोजित की गई परीक्षा जो निर्धारित परीखा से उत्तीर्ण होने असफल रहे थे अथवा उसमें बैठ नहीं पाए थे।
		(24)	**ट्विनिंग कार्यक्रम** से अभिप्रेत है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ एक सेमेस्टर से लेकर एक वर्ष की अवधि तक के लिए हो सकने वाला विद्यार्थी विनिमय कार्यक्रम:
कार्यक्रम स्नातक और निष्णात डिग्री कार्यक्रम	3	(1)	(क) संस्थान ऐसी न्यूनतम अवधि के लिए स्नातक और निष्णात डिग्री कार्यक्रम उपलब्ध कराएगा जिन्हें बोर्ड द्वारा बोर्ड की शैक्षणिक मामलों समिति की सिफारिश पर अनुमोदित किया जाएगा: परंतु स्थायी आंतरिक सलाहकार समिति-शैक्षणिक प्रबंधन प्रणाली ऐसे सभी कार्यक्रमों की सिफारिश करेगी। (ख) कार्यक्रम के लिए अध्ययन के विस्तृत पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम प्रवेश अर्हता वह होगी जो अध्यादेश 15 कगे अधीन बनाए गए और निफ्ट के पीएच.डी निनियमों के रूप में अधिसूचित विनियमों में निर्दिष्ट की जाएगी।
डिप्लोमा कार्यक्रम		(3)	(क) संस्थान ऐसे स्वतंत्र डिप्लोमा कार्यक्रमों जैसे उद्योगनुमुखी, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश करेगा जो एक विभाग द्वारा पूर्ण/अल्पकालिक अथवा अन्य विभागों के साथ संयुक्त रूप से अथवा अन्य संस्थानों, संगठनों और उद्योग के सहयोग से आयोजित हों जिन्हें सिनेट की सिफारिश पर अनुमोदित किया जाएगा: परंतु यह कि स्थायी आंतरिक सलाहकार समिति सतत शिक्षा और डिप्लोमा कार्यक्रमों की सिफारिश करेगी। (ख) संस्थान के सभी डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए अध्ययन के विस्तृत पाठ्क्रम अध्यादेश 15 के अधीन यथानिर्धारित और इन कार्यक्रमों के लिए समय-समय पर तैयार की गई विविरणिका अथवा ब्रोशर में प्रकाशित किए जाएंगे।

सर्टिफिकेट कार्यक्रम		(4)	(क) संस्थान सतत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शाम को अथवा सप्ताहांतो पर और अवकाश के दौरान ऐसे कार्यक्रम प्रदान कर सकेंगा, जो अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार स्थानीय शैक्षणिक मानक समिति द्वारा अनुसंशित और सिनेट के माध्यम से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाएं: परंतु यह कि स्थायी आंतरिक सलाहकार समिति सतत शिक्षा एवं डिप्लोमा कार्यक्रम ऐसे सभी कार्यक्रमों की सिफारिश करेगी। (ख) संस्थान अन्य संस्थानों, संगठनों और उद्योग के साथ संयुक्त रूप से ऐसे अल्पकालिक कार्यक्रमों भी प्रदान कर सकेगा जो अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित पद्धति के अनुसार होंगे और इन कार्यक्रामों के लिए समय-समय पर तैयार की गई विवरणिका अथवा ब्रोशर में प्रकाशित किए जाएंगे।
ब्रिज कार्यक्रम		(5)	(क) संस्थान ऐसी अवधि के लिए ब्रिज कार्यक्रम उपलब्ध कराएगा जिन्हें बोर्ड द्वारा डिग्री प्रदान करने के लिए संस्थान के ब्रिज डिप्लोमा कार्यक्रमों के रूप में अनुमोदित किया जाएगा: परंतु सिनेट स्थायी आंतरिक सलाहकार समिति-शैक्षणिक प्रबंधन प्रणाली की सिफारिश पर ऐसे कार्यक्रमों का अनुमोदन करेगी। (ख) प्रक्रिया और पद्धतियां अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएंगी। (ग) कार्यक्रम के लिए विस्तृत प्रक्रिया और पद्धिति तथा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम प्रवेश अर्हता ऐसी होगी, जैसी अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएगी।
प्रवेश	4	(1)	(क) संस्थान के विभिन्न डिग्री कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की सभी श्रेणियों के लिए प्रवेश की अपेक्षाएं और पद्धतियां वैसी होंगी, जैसी सिनेट द्वारा अनुशंसित और बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई हैं। सविविरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ख) किसी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम और केंद्र का आवंटन विद्यार्थी के अधिमान के अनुसार मेरिट तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर संस्थान द्वारा काउंसलिंग के समय पर किया जाएगा। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ग) संस्थान मे किसी कार्यक्रम में अनतिम रूप से अथवा अन्यथा प्रवेश दिया गया प्रत्येक विद्यार्थी अर्हक डिग्री/अनंतिम सर्टिफिकेअ की प्रतियां और मूल दस्तावेज अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जो संस्थान की विवरणिका में निर्दिष्ट किए गए हैं। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (घ) किसी ऐसे विद्यार्थी, जो या तो विनिर्दिष्ट तारीख तक अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है अथवा प्रवेश के लिए निर्दिष्ट किसी अन्य अपेक्षा को पूरा करने में विफल रहता है, का अनंतिम अथवा अन्यथा प्रवेश रद्द किया जा सकेगा। विविरणों को अध्यादेश 15 के अधीन निर्धारित किया जाएगा। (ड) किसी विद्यार्थी का प्रवेश बाद में किसी भी समय रद्द भी किया जा सकेगा यदि वह पाया गया कि विद्यार्थी ने प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई गलत जानकारी प्रस्तुत की है अथवा किसी प्रासंगिक जनकारी प्रस्तुत की है अथवा किसी प्रासंगिक जानकारी की छिपया है। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।

			(च) विभिन्न कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्गों/शारीरिक रूप से नि:शक्त आवेदकों के लिए सीटों का आरक्षण भारत सरकार कि निदेशों के अनुसार होगा। (छ) संस्थान विद्यार्थीयों की श्रेणियों जैसे राज्य अधिवास अधिमान, विदेशी राष्ट्रिक, अनिवासी भारतीय अथवा बोर्ड द्वारा यथानिर्णित किसी अन्य श्रेणी के विद्यार्थीयों के लिए मेरिट के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों में अतिरिक्त सीटों की पेशकश भी कर सकेगा वशर्ते विद्यार्थीयों का ऐसा श्रेणीकरण अधिनियम के उपबंधों या केंद्रीय सरकार के निदेशों से असंगत न हो। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ज) यदि शिथिल प्रवेश मानदण्डों के बावजूद भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/शारीरिक रूप से नि:शक्त आवेदकों के लिए आरक्षित सीटें नहीं भरी जाती हैं और ऐसी रिक्त सीटों की कुल संख्या कुल सीटों के 10 प्रतिशत से अधिक हो जाती है, तो उन्हें उस रीति से भरा जाएगा जैसा अध्यादेश 15 यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।
पीएच.डी डिग्री कार्यक्रम		(2)	(क) संस्थान के पीएच.डी डिग्री कार्यक्रमों में सभी आवेदकों के लिए प्रवेश की अपेक्षाएं और पद्धतियां वैसी होंगी, जैसी सिनेट द्वारा अनुशंसित और बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई हैं। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ख) संस्थान में किसी कार्यक्रम में अनंतिम रूप से अथवा अन्यथा प्रवेश दिया गया प्रत्येक विद्यार्थी अर्हक डिग्री/अनंतिम सर्टिफिकेट की प्रतियां और मूल दस्तावेज अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जो संस्थान द्वारा निर्दिष्ट किए गए है। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ग) किसी ऐसे विद्यार्थी, जो या तो विनिर्दिष्ट तारीख तक अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है अथवा प्रवेश के लिए निर्दिष्ट किसी अन्य अपेक्षा को पूरा करने में विफल रहता है, का अनंतिम अथवा अन्यथा प्रवेश रद्द किया जा सकेगा। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (घ) किसी विद्यार्थी का प्रवेश बाद में किसी भी समय रद्द भी किया जा सकेगा यदि यह पाया गया कि विद्यार्थी ने प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई गलत जानकारी प्रस्तुत की है अथवा किसी प्रासंगिक जानकारी को छिपाया है। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।
डिप्लोमा कार्यक्रम		(3)	विभिन्न डिप्लोमा कार्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया तथा अन्य विवरण ऐसे होंगे, जैसे अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किए गए हैं तथा निर्दिष्ट प्रवेश विवरणिका में समय-समय पर प्रकाशित किए गए हैं।
सर्टिफिकेट कार्यक्रम		(4)	विभिन्न सर्टिफिकेट कार्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया तथा अन्य विवरण ऐसे होंगे, जैसे अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किए गए हैं तथा निर्दिष्ट प्रवेश विवरणिका में समय-समय पर प्रकाशित किए गए हैं।
ब्रिज कार्यक्रम		(5)	विभिन्न ब्रिज कार्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया तथा अन्य विवरण ऐसे होंगे, जैसे अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किए गए हैं तथा निर्दिष्ट प्रवेश विवरणिका में समय-समय पर प्रकाशित किए गए हैं।
शुल्क	5	(1)	(क) संस्थान सिनेट की सिफारिश पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में विभिन्न संघटकों के लिए

स्नातक और निष्णात			विद्यार्थीयों से प्रभारित किए जाने वाले शुल्क पर निर्णय ले सकेगा। शुल्क को केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जरी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए नियत किया जाएगा। इसे अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ख) एक या अधिक संघटकों के लिए शुल्क का संशोधन स्थायी आंतरिक सलाहकार समिति-विद्यार्थी मामले की सिफारिश पर तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने पर शैक्षणिक वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जा सकेगा। इसे अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ग) छात्रावास में निवास के संदर्भ में विद्यार्थीयों से प्रभारित किए जाने वाले शुल्क का निर्णय केंद्र स्थानीय शैक्षणिक मानक समिति और सिनेट की सिफारिश पर बोर्ड के अनुमोदन पर किया जाएगा। इसे अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित और निर्दिष्ट प्रवेश विवरणिका में समय-समय अधिसूचित किया जाएगा। (घ) शुल्क से संबंधित सभी मामले जब कभी विद्यार्थीयों की जानकारी के लिए अपेखित हों, अधिसूचित किए जाएंगे।
पीएच.डी डिग्री कार्यक्रम		(2)	(क) संस्थान सिनेट की सिफारिश पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में विभिन्न संघटकों के लिए विद्यार्थीयों से प्रभारित किए जाने वाले शुल्क पर निर्णय ले सकेगा । शुल्क को केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए नियत किया जाएगा। इसे अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ख) एक या अधिक संघटकों के लिए शुल्क का संशोधन स्थायी आंतरिक सलाहकार समिति-विद्यार्थी मामले की सिफारिश पर तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने पर शैक्षणिक वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जा सकेगा। इसे अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ग) शुल्क से संबंधित सभी मामले जब कमी विद्यार्थियों की जानकारी के लिए अपेक्षित हों, अधिसूचित किए जाएंगे।
डिप्लोमा कार्यक्रम		(3)	(क) संस्थान सिनेट की सिफारिश पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में विभिन्न संघटकों के लिए विद्यार्थीयों से प्रभारित किए जाने वाले शुल्क पर निर्णय ले सकेगा । शुल्क को केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए नियत किया जाएगा। इसे अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ख) एक या अधिक संघटकों के लिए शुल्क का संशोधन स्थायी आंतरिक सलाहकार समिति-विद्यार्थी मामले की सिफारिश पर तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने पर शैक्षणिक वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जा सकेगा। इसे अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ग) छात्रावास में निवास के संदर्भ में विद्यार्थीयों से प्रभारित किए जाने वाले शुल्क का निर्णय केंद्र स्थानीय शैक्षणिक मानक समिति और सिनेट की सिफारिश पर बोर्ड के अनुमोदन पर किया जाएगा। इसे अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित और निर्दिष्ट प्रवेश विवरणिका में समय-समय अधिसूचित किया जाएगा। (घ) शुल्क से संबंधित सभी मामले जब कभी विद्यार्थीयों की जानकारी के लिए अपेखित हों, अधिसूचित किए जाएंगे।

सर्टिफिकेट कार्यक्रम		(4)	(क) विभिन्न सर्टिफिकेट कार्यक्रमों के लिए शुल्क तथा उसका संशोधन उस प्रकार होगा जैसे अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित और निर्दिष्ट प्रवेश विवरणिका में समय-समय अधिसूचित किया जाएगा। (ख) छात्रावास में निवास के लिए विद्यार्थीयों से प्रभारित किए जाने वाले शुल्क का निर्णय केंद्र स्थानीय शैक्षणिक मानक समिति और सिनेट की सिफारिश पर बोर्ड के अनुमोदन पर किया जाएगा। इसे अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित और निर्दिष्ट प्रवेश विवरणिका में समय-समय अधिसूचित किया जाएगा।
ब्रिज कार्यक्रम		(5)	विभिन्न सर्टिफिकेट कार्यक्रमों के लिए शुल्क तथा उसका संशोधन उस प्रकार होगा जैसा अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित और निर्दिष्ट प्रवेश विवरणिका में समय-समय अधिसूचित किया जाएगा।
पंजीकरण स्नातक और निष्णात कार्यक्रम	6	(1)	(क) स्नातक अथवा निष्णात कार्यक्रम के लिए विद्यार्थियों के आरंभिक पंजीकरण की तारीख वह होगी जिसको विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात प्रथम वर्ष में पहली बार औपचारिक रूप से पंजीकृत हुआ है। इस तारीख को सभी आशयों और प्रयोजनों के लिए कार्यक्रमों में शामिल होने की तारीख के रूप में माना जाएगा। इसे अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ख) सिनेट यह सामान्य अधिकतम अवधि विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसके भीतर विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम अवश्य ही पूरा किया जाना है। इसे अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ग) किसी विद्यार्थी से अपेक्षित होगा कि वह अध्ययन के प्रत्येक निर्धारित अवधि में उपस्थित रहे। तथापि, विलंब से पंजीकरण, बीमारी या ऐसी अन्य आकिस्मकता के लिए अनुपस्थिति की अनुमति दी जा सकेगी जैसाकि अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए उपस्थिति विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (घ) पंजीकरण तथा पुन:पंजीकरण की पद्धतियां सिनेट के अनुमोदन के पश्चात विनियमों में निर्धारित की जाएंगी तथा इन्हें समय-समय पर विद्यार्थी नियम पुस्तिका में अधिसूचित किया जाएगा।
पीएच.डी डिग्री कार्यक्रम		(2)	पीएच.डी कार्यक्रम के लिए पंजीकरण की पद्धतियां ऐसी होंगी जो अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित की जाएं।
डिप्लोमा कार्यक्रम		(3)	विभिन्न डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण तथा पुन:पंजीकरण की पद्धतियां ऐसी होंगी जो अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित की जाए।
सर्टिफिकेट कार्यक्रम		(4)	विभिन्न सर्टिफिकेट कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण तथा पुन:पंजीकरण की पद्धतियां ऐसी होंगी जो अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित की जाए।
ब्रिज कार्यक्रम		(5)	विभिन्न ब्रिज कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण तथा पुन:पंजीकरण की पद्धतियां ऐसी होंगी जो अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित की जाए।
शैक्षणिक कार्यक्रम स्नातक और निष्णात डिग्री	7	(1)	(क) शैक्षणिक सत्र के दौरान निर्धारित महत्वपूर्ण शैक्षणिक क्रियाकलापों के लिए तारीखें शैक्षणिक कैलेण्डर में निर्दिष्ट की जाएंगी तथा विद्यार्थियों, संकाय और अन्य की जानकारी के लिए अधिसूचित की जाएंगी। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। विशेष रूप से, निम्नलिखित मदों के लिए तारीखें विनिर्दिष्ट की जाएंगी:-

कार्यक्रम			– अभिमुखीरकण, पंजीकरण – सेमेस्टर शुल्क का भुगतान – कक्षाओं का आरंभ – सभी परीक्षाएं (जूरी/मौखिक सहित) – परिणामों की घोषणा – इंटर्नशिप, क्षेत्रीय दौरे आदि – अवकाश, सेमेस्टर के मध्य अवकाश। (ख) शैक्षणिक कैलेण्डर अथवा सत्र के दौरान उसमें किसी परिवर्तन के लिए स्थायी आंतरिक सलाहकार समिति-शैक्षणिक प्रबंधन प्रणाली की सिफारिशों पर सिनेट का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।
पीएच.डी डिग्री कार्यक्रम		(2)	(क) कार्यक्रम की अवधि के दौरान निर्धारित महत्वपूर्ण शैक्षणिक क्रियाकलापों के लिए तारीखें शैक्षणिक कैलेण्डर में निर्दिष्ट की जाएंगी तथा विद्यार्थीयों, संकाय और अन्य की जानकारी के लिए अधिसूचित की जाएंगी। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ख) शैक्षणिक कैलेण्डर अथवा सत्र के दौरान उसमें किसी परिवर्तन के लिए स्थायी आंतरिक सलाहकार समिति-अनुसंधान की सिफारिशों पर सिनेट का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।
डिप्लोमा कार्यक्रम		(3)	विभिन्न डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए शैक्षणिक कलैण्डर वह होगा जो डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित की जाए।
सर्टिफिकेट कार्यक्रम		(4)	विभिन्न सर्टिफिकेट कार्यक्रमों के लिए शैक्षणिक कलैण्डर वह होगा जो सर्टिफिकेट कार्यक्रमों के लिए अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित की जाए।
ब्रिज कार्यक्रम		(5)	विभिन्न ब्रिज कार्यक्रमों के लिए शैक्षणिक कलैण्डर वह होगा जो ब्रिज कार्यक्रमों के लिए अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित की जाए।
शैक्षणिक आउटपुट, मूल्यांकन और परीक्षा का संचालन	8	(1)	(क) किसी स्नातकपूर्व या स्नातकोत्तर विद्यार्थी के लिए अपेक्षित होगा कि वह संस्थान में अथवा संस्थान द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यचर्या संघटकों जैसे लेक्चर, पैक्टिकल, कार्यशाला, क्षेत्रीय अध्ययन, संगोष्ठियों, प्रोजेक्टों आदि के माध्यम से प्रत्येक सेमेस्टर में श्रेयांको की न्यूनतम संख्या अर्जित करे। ऐसे विद्यार्थी द्वारा संस्थान के किसी मार्गदर्शक या परामर्शक के पर्यवेक्षण के अधीन शोध-प्रबंध, प्रोजेक्ट, डिजाइन संग्रहण अथवा असी प्रकार के अन्य शैक्षणिक क्रियाकलाप किए जाने होंगे। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ख) किसी विद्यार्थी को अपने शोध-प्रबंध, स्नातक/शोध प्रोजेक्ट, डिजाइन संग्रहण और इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक क्रियाकलाप को पूर्ण रूप से अथवा उसके एक भाग को संस्थान परिसर के बाहर अथवा देश के बाहर से करने की अनुमति दी जाएगी जैसा 15 के अधीन निर्धारित पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या संबंधी विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है। (ग) (क) और (ख) के उपर्युक्त सभी मामलों में, यदि आवश्यक समझा जाता है, स्थानीय शैक्षणिक मानक समिति की सिफारिश पर केंद्र निदेशक द्वारा संगठन या संस्थान या अद्योग के बाहर से अतिरिक्त संकाय या परामर्शदाता नियुक्त किए जा सकेंगे। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में

			निर्धारित किया जाएगा। (घ) किसी विद्यार्थी के लिए डिग्री प्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाए और विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करनी अपेक्षित होगी, जिनमें वे श्रेयांक भी शामिल हैं, जो ऐसी संस्थाओं में, जिन्हें इस प्रयोजन के लिए निफ्ट द्वारा मान्यता प्रदान की जाए, ट्विनिंग कार्यक्रम के अंतर्गत अर्जित किए गए है। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन अथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ड.) जो विद्यार्थी, वास्तविक कारणों से किसी एंड-टर्म परीक्षा में बैठने में असफल रहे हैं, उन्हें तथा साथ ही उन विद्यार्थियों को भी जो मूल्यांकन की समाप्ति पर विषय में असफल रहे हैं, अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए पुन:परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। (च) परीक्षा के संचालन के प्रक्रिया और पद्धति, परीक्षानिकाय, परीक्षकों और संचालकों के कर्त्तव्य, परीक्षा में शामिल होने की अपेक्षाओं की पूर्ति तथा परीक्षा से जुडे सभी अन्य सभी मामले ऐसे होंगे जिन्हें स्थायी आंतरिक सलाहकार समिति-परीक्षा और मूल्यांकन तथा सिनेट की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाए जैसाकि 15 के अधीन तैयार किए गए विनियमों में निर्दिष्ट है। (छ) पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की प्रक्रिया, ग्रेडों तथा सेमेस्टर ग्रेड पॉइन्ट औसत/संची ग्रेड पॉइन्ट औसत प्रदान करने, परीक्षा तथा किसी स्नातक और निश्णात डिग्री कार्यक्रम के कार्यकरण/प्रगति से यथासंबद्ध अन्य सभी मामले ऐसे होंगे, जैसेकि अध्यादेश 15 के अधीन तैयार किए गए विनियमों में निर्दिष्ट और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाएं। (ज) स्नातक और निष्णात डिग्री कार्यक्रमों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अपेक्षाओं के अलावा विभाग अपने कार्यक्रमों के अनुकूल अतिरिक्त शैक्षणिक अपेक्षाएं निर्दिष्ट कर सकेगा।
पीएच.डी डिग्री कार्यक्रम		(2)	(क) प्रत्येक विद्यार्थी के लिए न्यूनतम संचीय ग्रेड अंक औसत प्राप्त करने के लिए अपेक्षित पाठ्क्रम कार्य करना तथा पाठ्यक्रम कार्य की समाप्ति के पश्चात एक विस्तृत परीक्षा देना अनिवार्य होगा। (ख) अनुसंधान कार्य संस्थान के पर्यवेक्षक के अधीन संपन्न किया जाना होगा। (ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के विवरण अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
डिप्लोमा कार्यक्रम		(3)	शैक्षणिक इनपुट की प्रक्रिया और पद्धति, परीक्षा का मूल्यांकन और संचालन तथा विभिन्न डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए अन्य संबंधित किसी मामले को अध्यादेश 15 के अधीन तैयार किए गए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।
सर्टिफिकेट कार्यक्रम		(4)	शैक्षणिक इनपुट की प्रक्रिया और पद्धति, परीक्षा का मूल्यांकन और संचालन तथा विभिन्न सर्टिफिकेट कार्यक्रमों के लिए अन्य संबंधित किसी मामले को अध्यादेश 15 के अधीन तैयार किए गए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।
ब्रिज कार्यक्रम		(5)	शैक्षणिक इनपुट की प्रक्रिया और पद्धति, परीक्षा का मूल्यांकन और संचालन तथा विभिन्न ब्रिज कार्यक्रमों के लिए अन्य संबंधित किसी मामले को अध्यादेश 15 के अधीन तैयार किए गए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।
शैक्षणिक कार्यक्रमों	9	(1)	(क) प्रत्येक डिग्री कार्यक्रम की पाठ्यचर्या को , जो इसके

की पाठ्यचर्या तथा डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्नातक और निष्णात डिग्री कार्यक्रम			सफलतापूर्वक समाप्ति के लिए अपेक्षित है, सिनेट के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। विवरणों को अध्यादेश 15 कि अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ख) किसी विद्यमान डिग्री कार्यक्रम की अनुमोदित पाठ्यचर्या में किसी परिवर्तन को भी सिनेट के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। विवरणों को अध्यादेश 15 कि अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ग) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की अनुमोदित पाठ्यचर्या संकाय अध्यक्ष-शैक्षणिक, विभाग अध्यक्ष और प्रत्येक केंद्र में केंद्र समन्वयक की अभिरक्षा में रहेगी। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (घ) किसी पात्र अभ्यर्थी को स्नातक और निष्णात डिग्री प्रदान किया जाना अध्यादेश 15 कि अधीन बनाए गए विनियमों में निर्दिष्ट पद्धति के अनुरूप किया जाएगा। (ड.) ऐसे विद्यार्थियों, जिन्हें इस अध्यादेश तथा असके अधीन बनाए गए विनियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व संस्थान में प्रवेश दिया गया था तथा जिन्होंने परीक्षा देने के उपरांत कार्यक्रामों को सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है, को अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुरूप, यथास्थिति स्नातक अथवा निष्णात डिग्री दी जाएगी । (च) पात्र विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करने के लिए संस्थान का दीक्षांत-समारोह अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित पद्धति के अनुसार प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा। (छ) बोर्ड स्नातकपूर्व अथवा स्नातकोत्तर कार्यक्रम की सफलतापूर्वक समाप्ति के लिए अपेक्षित है, सिनेट के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। किसी डिग्री के फार्मेट में किसी संशोधन के लिए सिनेट की सिफारिश पर बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित होगा।
पीएच.डी डिग्री कार्यक्रम			(क) प्रत्येक डिग्री कार्यक्रम की पाठ्यचर्या को, जो इसके सफलतापूर्वक समाप्ति के लिए अपेक्षित है, सिनेट के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ख) किसी डॉक्टोरल कार्यक्रम की अनुमोदित पाठ्यचर्या में किसी परिवर्तन को भी सिनेट की सिफारिश पर बोर्ड का पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ग) डॉक्टोरल कार्यक्रम की अनुमोदित पाठ्यचर्या प्रमुख अनुसंधान की अभिरक्षा में रहेगी। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (घ) किसी पात्र अभ्यर्थी को पीएच.डी प्रदान किया जाना अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्दिष्ट पद्धति के अनुरूप किया जाएगा। (ड.) पात्र विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करने के लिए संस्थान का दीक्षांत-समारोह अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित पद्धति के अनुसार प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा।

			(च) बोर्ड स्नातकपूर्व अथवा स्नातकोत्तर कार्यक्रम की सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात विद्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली प्रत्येक डिग्री के फार्मेट को अनुमोदित करेगा। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। किसी डिग्री के फार्मेट में किसी संशोधन के लिए सिनेट की सिफारिश पर बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित होगा।
डिप्लोमा कार्यक्रम		(3)	पाठ्यचर्या, डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए फार्मेट, डिप्लोमा प्रदान करना तथा ऐसे कार्यक्रमों से संबंधित अन्य मुद्दे ऐसे होंगे तथा अध्यादेश 15 के अधीन बनाए बए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।
सर्टिफिकेट कार्यक्रम		(4)	पाठ्यचर्या, सर्टिफिकेट कार्यक्रम के लिए फार्मेट, डिप्लोमा प्रदान करना तथा ऐसे कार्यक्रमों से संबंधित अन्य मुद्दे ऐसे होंगे तथा अध्यादेश 15 के अधीन बनाए बए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।
ब्रिज कार्यक्रम		(5)	पाठ्यचर्या, ब्रिज कार्यक्रम के लिए फार्मेट, डिप्लोमा प्रदान करना तथा ऐसे कार्यक्रमों से संबंधित अन्य मुद्दे ऐसे होंगे तथा अध्यादेश 15 के अधीन बनाए बए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।
विद्यार्थी वित्तीय सहायता, पुरस्कार, मेडल और विकासात्मक क्रियाकलाप स्नातक, निष्णात और पीएच.डी डिग्री कार्यक्रम	10	(1) (2)	डिग्री कार्यक्रम के किसी विद्यार्थी को ऐसी सहायता वृत्ति अथवा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और ऐसे पुरस्कार इनाम और मेडल दिए जाएंगे जो भारत सरकार द्वारा जारी अनुदशों तथा बोर्ड/सिनेट के निर्णय के अनुरूप विनियमों में समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाएं। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन बनाए बए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। संस्थान विद्यार्थियों को उनके समग्र व्यक्तित्व और कौशलों का विकास करने के लिए शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऐसे विकासात्मक क्रियाकलापों में प्रतिभागिता के लिए पद्धतियां अध्यादेश 15 के अधीन बनाए बए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय ट्विनिंग और विनिमय कार्यक्रम	11	(1) (2)	संस्थान में डिग्री कार्यक्रम के लिए पंजीकृत विद्यार्थी और/अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन रखने वाली किसी विदेशी संख्या में कार्यक्रम के लिए पंजीकृत विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाएगा तथा कक्षाओं और कार्यशालाओं में उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी, यदि उन्हें ट्विनिंग और विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा अधिकारिक रूप से प्रायोजित किया गया है। तथापि, वह अधिकतम अवधि, जिसके लिए विद्यार्थी को सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। ऐसे क्रियाकलापों के लिए चयन प्रक्रियाएं विनियमों में निर्धारित तथा स्थायी आंतरिक सलाहकार समिति-अंतरराष्ट्रीय और घरेलू संपर्क की सिफारिश पर सिनेट द्वारा अनुमादित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगी। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन बनाए बए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।
अनुशासन और आचरण नियम	12	(1)	संस्थान के किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम में प्रविष्ट विद्यार्थी को संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी छात्र नियम पुस्तिका नियमावली में निर्दिष्ट स्थायी आदेशों का पालन करना होगा। ये आदेश परिसर, विभागों, छात्रावासों और बाहरी स्थानों पर छात्रों के अनुशासन से संबंधित होंगे।
		(2)	ये आदेश ऐसे अन्य सभी मामलों से भी संबंधित होंगे, जो विद्यार्थियों, सहशिक्षण और शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों के सामान्य आचरण के लिए आवश्यक समझे जाएंगे। इन आदेशों का अनुमोदन स्थायी आंतरिक सलाहकार समिति-विद्यार्थी मामले की सिफारिश पर महानिदेशक द्वारा किया जाएगा। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन बनाए बए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।
संकाय विकास और प्रशिक्षण	13		शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए संकाय प्रशिक्षण और विकास अवसरों की पद्धति और प्रक्रिया ऐसी होगी, जो स्थायी आंतरिक सलाहकार-संकाय अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और विकास द्वारा अनुशंसित और सिनेट द्वारा अनुमोदित हो, जैसा अध्यादेश 15 के अधीन बनाए बए विनियमों में

			विनिर्दिष्ट है।
बौद्धिक संपदा अधिकार	14		संस्थान की बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के क्रियान्वयन की पद्धति वह होगी, जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएगी तथा निफ्ट की आईपीआर नियमावली में अलग से प्रकाशित और अधिसूचित की जाएगी।
विनियम बनाना	15		उक्त अध्यादेशों में अतविष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित विषय-वस्तु और उसके पश्चातवर्ती संशोधन अथवा परिवर्तन अथवा उसमें किए गए लोप शैक्षणिक नियमावली में बनाए बए और प्रकाशित विनियमों द्वारा प्रशासित की जाएगी, जो बोर्ड द्वारा सहायक रूप से समय-समय पर अनुमोदित किए जाए:- **(क) शैक्षणिक संगठन** ▪ अध्यादेश - 3(1) -(क); ▪ अध्यादेश - 3(2) -(क); ▪ अध्यादेश - 3(3) -(क); ▪ अध्यादेश - 3(4) -(क); ▪ अध्यादेश - 3(5) -(क); ▪ अध्यादेश - 5(1) -(ख),(ग) ; ▪ अध्यादेश - 5(2) -(क); ▪ अध्यादेश - 7(1) -(ख); ▪ अध्यादेश - 7(2) -(ख); **(ख) शैक्षणिक आयोजना और पाठ्यचर्या** ▪ अध्यादेश - 3(1) -(क), (ख), (ग); ▪ अध्यादेश - 6(1) - (ख); ▪ अध्यादेश - 7(1) ▪ अध्यादेश - 8(1) -(क), (ख), (ग),(घ),(छ); ▪ अध्यादेश - 9(1) -(क), (ख), (ग); **(ग) निफ्ट में विद्यार्थियों का प्रवेश** ▪ अध्यादेश - 3(1) -(घ); ▪ अध्यादेश - 4(1) ▪ अध्यादेश - 5(1) -(क),(ग); ▪ अध्यादेश - 6(1) -(क); **(घ) छात्र मामले** ▪ अध्यादेश - 5(1) - (ख), (घ); ▪ अध्यादेश - 6(1) - (ग), (घ); ▪ अध्यादेश - 10(1) - (2); ▪ अध्यादेश - 11(1) - (2); ▪ अध्यादेश - 12(1) - (2); **(ड.) डिप्लोमा कार्यक्रम** ▪ अध्यादेश - 3(3); ▪ अध्यादेश - 4(3); ▪ अध्यादेश - 5(3); ▪ अध्यादेश - 6(3); ▪ अध्यादेश - 7(3); ▪ अध्यादेश - 8(3); ▪ अध्यादेश - 9(3); **(च) सीई कार्यक्रम** ▪ अध्यादेश - 3(4); ▪ अध्यादेश - 4(4); ▪ अध्यादेश - 5(4); ▪ अध्यादेश - 6(4); ▪ अध्यादेश - 7(4); ▪ अध्यादेश - 8(4); ▪ अध्यादेश - 9(4);

			(छ) परीक्षा और मूल्यांकन ▪ अध्यादेश - 8(1)- (ङ.),(च),(छ); **(ज) डिग्री और अन्य विशेष-योगताएं** ▪ अध्यादेश - 9(1)- (घ),(ङ.),(च),(छ); ▪ अध्यादेश - 9(2)- (ङ.),(च); **(झ) संकाय मामले** ▪ अध्यादेश - 13 ( ) बौद्धिक संपदा अधिकार ▪ अध्यादेश - 14 **(ज) संपर्क** ▪ अध्यादेश - 11(1),(2); **(ट) पीएच.डी** ▪ अध्यादेश - 3(2); ▪ अध्यादेश - 4(2); ▪ अध्यादेश - 5(2); ▪ अध्यादेश - 6(2); ▪ अध्यादेश - 7(2); ▪ अध्यादेश - 8(2); ▪ अध्यादेश - 9(2); **(ठ) ब्रिज कार्यक्रम** ▪ अध्यादेश - 3(5); ▪ अध्यादेश - 4(5); ▪ अध्यादेश - 5(5); ▪ अध्यादेश - 6(5); ▪ अध्यादेश - 7(5); ▪ अध्यादेश - 8(5); ▪ अध्यादेश - 9(5); **शैक्षिणक नियमावली में अध्ययन का संदर्भ*
आकस्मिे मामले	16		विशेष परिस्थितियों में, सिनेट का अध्यक्ष या बोर्ड का अध्यक्ष, यथास्थिति, सिनेट या बोर्ड की ओर से, किसी अध्यादेश(शों) में ऐसे संशोधन, परिर्वतन, निवेशन या लोप अनुमोदित कर सकेगा, जो उसकी राय में किसी कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक अथवा सामयिक हों: परंतु ऐसे सभी परिवर्तन, यथास्थिति, सिनेट या बोर्ड के सम्मुख अनुमोदन के लिए उसकी आगामी बैठक में लाए जाएंगे। उक्त आशोधन, संशोधन, परिवर्तन, अंत:सुथापन या लोप से संबंधित, यथास्थिति, सिनेट अथवा बोर्ड द्वारा कोई अनुमोदन उस तारीख से प्रचालित होगा जब, यथास्थिति, सिनेट/बोर्ड के अध्यक्ष ने उसका अनुमोदन किया है।
निरसन ओर व्यावृत्ति	17		राष्ट्रीय फैशन टक्नालॉजी संस्थान स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकपूर्व डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रम अध्यादेश, 2007 को एतद्दारा निरसित किया जाता है। ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन की गई अथवा किए जाने के लिए आशयित किसी बात अथवा किसी कार्रवाई को यह माना जाएगा कि वह इन अध्यादेशों के सदृश विनियमों के अधीन की गई अथवा उठाई गई है।
विनियमों का निर्वचन	18	(1)	उक्त अध्यादेशों में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, कार्यक्रमों की अवधि, छात्रों की संख्या और उसकी पद्धति के संबंध में कोई भी विनियम सिनेट, शैक्षणिक मामलों संबंधी समिति अथवा बोर्ड के निर्णय के उल्लंघन में नहीं बनाए जाएंगे।

			यदि इन विनियमों के निर्वचन के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो सिनेट का स्पष्टीकरण निर्णय बाध्यकर और अंतिम होगा।

(मोनिका एस. गर्ग)

महानिदेशक